



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1739]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 2019/ज्येष्ठ 21, 1941

No. 1739]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 11, 2019/JYAISTHA 21, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2019

का.आ.1944(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जौर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य भारत की एक स्वच्छतम नदी में स्थित है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश के श्योरपुर मुरैना और भिंड जिलों के अन्तर्गत 435 किलोमीटर लम्बी और क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर है;

और, यह घड़ियाल की अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों की 75% प्राकृतिक रूप से रहने वाली जनसंख्या का वास है। अभयारण्य में राष्ट्रीय जलीय पशु-ताजा जल गंगेटिक डॉल्फिन, ताजा जल कछुआ की नौ प्रजातियां और प्रवासी पक्षियों की 180 से अधिक प्रजातियों का वास है;

और, अभयारण्य में बनस्पति और जीवजंतुओं की विविधता है जिसमें पक्षी, तितली, सरीसृप, मछली, उभयचर आदि सम्मिलित हैं। अभयारण्य में विद्यमान बनस्पति के उदाहरणों में अकैशिया निलोटीका, ए. लेयकोफोलोइया, ए कटेचु, प्रोसोपिस जुल्लफलोरा, पी. स्पीकिगेरा, अलबिजिया लेब्बेक, गरेविया ओपटीवा, अनगेइस्मूस पेंडुला, डालबेरगिया सिस्साँ, जिजिफस मॉरिटियना, जि. दर्लइटीकोसा, सालवाडोरा प्रेरसिका, काप्परिस डेसिदुअस, सी. सेपिआरिआ, कलोटरोपिस गिंगेअन, करीस्सा ओपका और टमारिक्स डिओका आदि शामिल हैं। अभयारण्य के जलीय पौधों में हाइड्रिला वर्टिकिलाटा, बलिस्त्रारिया स्पिरालिस, पोटामोगेटोन, इम्पेराटा, टायफा, निटेल्ला, चारा और जामिंचेलिया स्पाशामिल हैं;

और, अभयारण्य के जीवजंतुओं में लकड़बग्धा, सियार, काराक्काल, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांभर, नेवला, मांनिटर छिपकली आदि शामिल हैं। अभयारण्य में विद्यमान जलीय जीवजंतुओं के उदाहरणों में संकटापन्न लुसप्राय गेवियलिस गेंगेटीक्स, क्रोकोडलस पलुस्ट्रीस, पलाटानिस्टा गेंगेटीका, रेड-क्रोक्रोनेड रूफेद कछुआ (बाटागुर कचुगा), बाटागुर धोंगोका, हाइड्रिला थुरगी, कचुगा टेटोरिया, नेर्वोव हेडेड, सॉफ्ट शैल कछुआ (चितरा इंडिका), भारतीय सॉफ्ट शैल कछुआ (निल्सोनिया गेंगेटिका), भारतीय फलाष्ठैल कछुआ (निल्सोनिया पुंकटाटा), लिस्सेमिस एडारसेनि, मयूर सॉफ्ट शैल कछुआ (निल्सोनिया हुरूम) हैं;

और, अभयारण्य में पक्षियों की विविधता में पाए जाने वाले उदाहरण भारतीय स्किम्मर, (रैन्चोपस अल्बिकोल्लिस), ब्लैक-बेल्लीड टर्नस्टर्न एक्यूटिकाडा, सारस क्रेन (गरूस अंटीगोना), लेसर हिस्लिंग डक (डेंड्रोक्रयगना जवानिका), बार-हेडेड बत्तख (अंसेर इंडिकस), ग्रेयलंग बत्तख (अंसेर अंसेर), रूड़ी शेलडक (ट्वोर्ना फेर्लिगिनिया), सामान्य पोचार्ड (अयथ्या फेरिना), रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड (नेट्रा रूफिना), फेर्लिगिनोउस कबूत (अयथ्या नयरोका), उत्तरी शोवेलर (स्पातुला क्लीपेटा), गडवाल्ल (मेरेका स्टेपेरा), युरेशियन विजन (मेरेका पेनेलोप) आदि हैं;

और, राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिपिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 2 किलोमीटर, तक विस्तारित क्षेत्र को राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल **870 वर्ग किलोमीटर** है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध-II** में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमशः **उपाबंध-III (क)** और **उपाबंध-III (ब)** में है।

(5) मुख्य विंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना।— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग;
- (xii) राजमार्ग; और
- (xiii) मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रवंधन, जल-संभरों के प्रवंधन, भू-जल के प्रवंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा

का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिपिछ्व एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.**-(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप;

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) अभ्यारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए अभ्यारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्यावहारिक संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) प्राकृतिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्ढे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयाँ.- (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत् खनिज), पत्थर की खाने और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद वनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन वनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
3.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
4.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का

		विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी।</p>
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।</p> <p>परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।</p>
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केन्द्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्योगों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फर्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और

	ढांचा।	उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	पहाड़ी ढालानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	नई खाई भूमि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	पुरानी खाई भूमि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	खनन पट्टे का स्वीकृत और नवीकरण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	वायु, वाहन और धर्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा देना विनियमित होगा।
25.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
26.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/वहिस्तरि का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/वहिस्तरि के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/वहिस्तरि का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
27.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निकर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
31.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
32.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
33.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

ग. संबंधित क्रियाकलाप		
34.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संबंधी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	संभागीय आयुक्त, चंबल संभाग	अध्यक्ष;
2.	प्रमुख वन संरक्षक, गवालियर	सदस्य;
3.	जिला कलेक्टर, मुरैना/भिंड/ श्योपुर जिला	सदस्य;
4.	आयुक्त नगर निगम मुरैना/सी एम ओ नगर पालिका भिंड/ श्योपुर	सदस्य;
5.	जिला पंचायत मुरैना/भिंड/श्योपुर जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य;
6.	नगर और शहरी योजना विभाग का जिला अधिकारी	सदस्य;
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
9.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
10.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
11.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
12.	मुरैना वन संभाग का वन्यजीव वार्डन	सदस्य- सचिव।

6. विचारार्थ विषय- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिपिछ्व क्रियाकलापों को छोड़कर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिपिछ्व क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल-विशेष दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यवीन होंगे।

[फा.सं. 25/79/2015-ईएसजेड-आरई]


डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	राजस्थान राज्यों (चम्बल नदी के मध्य प्रवाह) की अंतःराज्य सीमा-मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है।
पूर्व	राजस्थान की अंतःराज्य सीमा-मध्य प्रदेश के पार्वती नदी में स्थित है जहां पार्वती नदी को पार करके चम्बल दांए मुख्य कैनल है।

दक्षिण	मध्य-प्रदेश की कृत्रिम सीमा-राजस्थान और मध्य-प्रदेश (चम्बल नदी का मध्य किनारा) की अंतःराज्य सीमा से एक किलोमीटर, पार्वती नदी और चम्बल नदी के तटों के साथ पूर्व भाग पर दक्षिण भाग (स्थायी दूरी) पर संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की सीमा) से दो किलोमीटर है, जो कि हांडी, कलमुंडा, मकडावदा, बडोदिया बिंदी, पाली, ठीकरिया, कुडायथा, धर्मपुरा, सारंगपुरा, कुवहजापुर, बांसौद, विदाखेदली, वालापुरा, बजरली, ठीकरिया, उतनवाडा, गुढ़ा अतवाड, डावसा, विट्ठलपुर, चक जुवाड, बनवाडा, धीरोली, भूरेडी, खेरोदा कलां, अकोरिया, हीरापुरा, उद्घोतपुरा, पराष्टा, दौलपुर, जैतपुरा, जमुरदा, पार्वती पुरा, कचिंदा, गुरैना, हीरापुरा, ड़दोखर, सुखपुरा, बरहाना, मसदपुर, रिठोना, महुआ, अर्जुनपुरा, हिम्मतपुरा, कदोरा, रत्नपुर, सूरजपुरा, चीतावली, दूल्हगन, उदनपुरा, पाली, अंधापुर; जजेपुरा और भानपुर से होते हुए जाती है।
पश्चिम	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों (चम्बल नदी का केंद्र प्रवाह) की अंत; राज्य सीमा से होते हुए एक किलोमीटर जाती है, संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की सीमा) से दो किलोमीटर के सामांतर दूरी में होते हुए एक किलोमीटर जाती है।

उपांबंध- II**राष्ट्रीय चम्बल घट्टियाल अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र**

उपांध-III**सारणी क: राष्ट्रीय चम्बल घटियाल अभयारण्य, मध्य प्रदेश के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर**

क्र.सं.	ज़िला	आरंभिक / अंतिम बिंदु	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1.	श्योपुर	आरंभिक बिंदु	बड़ोदिया विंदी	उ 25°24'13.09"	पू 77°36'40.98"
2.	श्योपुर	अंतिम बिंदु	नीतनवास	उ 26°11'32.78"	पू 77°06'59.45"
3.	मुरैना	आरंभिक बिंदु	बरोथा	उ 26°13'06.11"	पू 77°07'48.59"
4.	मुरैना	अंतिम बिंदु	चापक	उ 26°44'17.35"	पू 78°32'18.03"
5.	भिंड	आरंभिक बिंदु	कल्पुरा	उ 26°45'30.93"	पू 78°32'32.15"
6.	भिंड	अंतिम बिंदु	विंदवा	उ 26°36'07.59"	पू 79°00'14.01"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जौन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं	ज़िला	आरंभिक/ अंतिम बिंदु	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1.	श्योपुर	आरंभिक बिंदु	हन्दी	उ 25°23'55.32"	पू 76°37'16.22"
2.	श्योपुर	अंतिम बिंदु	पार्वतीपुरा	उ 26°05'38.15"	पू 77°00'04.60"
3.	मुरैना	आरंभिक बिंदु	कछीन्दा	उ 26°11'58.53"	पू 77°10'18.08"
4.	मुरैना	अंतिम बिंदु	महुआ	उ 26°48'29.15"	पू 78°22'27.91"
5.	भिंड	आरंभिक बिंदु	अर्जुनपुरा	उ 26°44'19.71"	पू 78°33'07.55"
6.	भिंड	अंतिम बिंदु	भोन्पुरा	उ 26°36'21.78"	पू 78°56'38.62"

उपांध-IV**भू-निर्देशांकों के साथ राष्ट्रीय चम्बल घटियाल अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जौन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची**

ज़िला	क्र.सं	500 किलोमीटर परिधि पर स्थित ग्राम का नाम	अक्षांश / देशांतर
श्योपुर	1	बड़ोदिया विंदी	उ 25° 24' 13.09", पू 77° 36' 40.98"
	2	राधापुरा	उ 25° 25' 15.82", पू 76° 36' 38.74"
	3	बरखेरा	उ 25° 26' 03.19", पू 76° 35' 31.37"
	4	अदोतपुरा	उ 25° 26' 30.84", पू 76° 35' 13.73"
	5	बड़ोदिया	उ 25° 27' 51.61", पू 76° 33' 59.58"
	6	कालखेड़ली	उ 25° 28' 54.31", पू 76° 33' 59.58"
	7	बेहदाबद	उ 25° 29' 18.74", पू 76° 33' 40.74"
	8	पहाड़ली	उ 25° 30' 16.12", पू 76° 33' 00.71"
	9	पनवाडा	उ 25° 31' 24.09", पू 76° 32' 17.16"
	10	राजोरा	उ 25° 32' 45.88", पू 76° 31' 47.73"

	11	गुरनावादा उत्तनबाड	उ २५° ३६' १६.११", पू ७६° ३१' १०.०८"
	12	शंकली	उ २५° ३६' ५३.२७", पू ७६° ३०' ५७.१४"
	13	पटपडा	उ २५° ३७' २८.३०", पू ७६° ३१' ०३.०२"
	14	आमलदा	उ २५° ३८' २९.८५", पू ७६° ३०' ४४.१९"
	15	निमोदापैर	उ २५° ३९' ५७.९३", पू ७६° ३०' ५३.६०"
	16	गावडी	उ २५° ४०' ४५.६७", पू ७६° ३०' २१.८३"
	17	पानडी	उ २५° ४०' २३.३९", पू ७६° ३१' ५८.३४"
	18	जलालपुरा	उ २५° ४१' ३३.४१" पू ७६° २८' ५७.०६"
	19	अङ्गबाड़	उ २५° ४१' ५७.८०", पू ७६° ३१' ४६.५८"
	20	सूडी	उ २५° ४३' १५.२२", पू ७६° ३१' ०८.९०"
	21	चैताखेडी	उ २५° ४२' ४७.६५", पू ७६° ३३' ००.७३"
	22	माखानाखेडी	उ २५° ४३' ५१.२८", पू ७६° ३१' ४४.२२"
	23	चक जुवाड़	उ २५° ४४' ३५.८२", पू ७६° ३१' ५९.५२"
	24	मलारना	उ २५° ४५' ५५.३४", पू ७६° ३१' २७.७४"
	25	दाल्खा	उ २५° ४६' २१.८४", पू ७६° ३१' २४.२१"
	26	बेहतेड	उ २५° ४७' २५.४४", पू ७६° ३१' २८.९२"
	27	इद्धानाखेडी	उ २५° ४७' ३१.७९", पू ७६° ३१' ४४.२२ "
	28	अडूसा	उ २५° ४८' १७.३६", पू ७६° ३२' ५६.०४"
	29	मुदालपाडा	उ २५° ४९' २०.८७", पू ७६° ३२' ५९.४९"
	30	लहचोडा	उ २५° ५०' ०५.४३", पू ७६° ३४' १८.४३"
	31	दांदरदा कलां	उ २५° ५०' १६.०४", पू ७६° ३४' ५०.२०"
	32	सामरसा	उ २५° ५०' १९.१४", पू ७६° ३७' ११.४०"
	33	ऊंचाखेडा	उ २५° ५०' ४६.७६", पू ७६° ३७' ०९.१०"
	34	बिचपुरी	उ २५° ५१' ०९.०१", पू ७६° ३८' १९.७२"
	35	आवनी	उ २५° ५१' ५४.३६", पू ७६° ३७' ४३.४९"
	36	जवासा	उ २५° ५२' २२.०२", पू ७६° ४०' ०२.०७"
	37	टोंगनी	उ २५° ५३' २४.३८", पू ७६° ३९' २०.००"
	38	सेवापुरा	उ २५° ५३' २८.६२", पू ७६° ३९' ४०.०३"
	39	जैनी	उ २५° ५२' ०६.१३", पू ७६° ४२' १३.९१"
	40	सिरसोद	उ २५° ५३' २४.५०", पू ७६° ४२' ३८.६५"
	41	मानपुर	उ २५° ५१' १७.४०", पू ७६° ४२' ५७.४७"
	42	फतहपुर	उ २५° ४५' १९.२१", पू ७६° ३४' ५४.८४"
	43	मकरोद	उ २५° ५४' १०.९७", पू ७६° ४५' ४६.११"
	44	बगदीया	उ २५° ५३' ४४.६२", पू ७६° ४८' ३७.६६"
	45	बरादारी	उ २५° ५४' ५९.६७", पू ७६° ५१' ०५.६९"

	46	बिलोनी	उ २५° ५७' ४२.८१", पू ७६° ४९' २०.०४"
	47	खीरखीरी	उ २५° ५८' ०९.२७", पू ७६° ४९' ३४.१७"
	48	दंतेड़ी	उ २५° ५९' ३७.५०", पू ७६° ४९' ४७.४०"
	49	सुखवास	उ २६° ००' ५१.०३", पू ७६° ५०' ५३.३३"
	50	खरोदाखुर्द	उ २६° ०१' १८.००", पू ७६° ५१' ३९.२४"
	51	मिलावाली	उ २५° ००' ५७.५१", पू ७६° ५२' ५५.४४"
	52	सुढारा	उ २५° ०२' १८.९५", पू ७६° ५३' ३१.९५"
	53	अरोदरी	उ २५° ०३' ००.१९", पू ७६° ५४' १७.८४"
	54	नीमच	उ २६° ०३' ३९.३२", पू ७६° ५४' १७.८४"
	55	पिपरानी	उ २६° ०४' २२.६८", पू ७६° ५४' ३५.४९"
	56	रिङ्गेटा	उ २६° ०५' २२.९३", पू ७६° ५५' २८.४७"
	57	बरोली	उ २६° ०५' २३.९९", पू ७६° ५६' ५३.२३"
	58	चैनपुर	उ २६° ०६' २१.०७", पू ७६° ५७' ५५.६२"
	59	जमुरदी	उ २६° ०६' ४९.६१", पू ७६° ५८' ३६.८३"
	60	दुबावाली	उ २६° ०७' ०७.५७", पू ७६° ५९' ५६.८७"
	61	नदीगांव	उ २६° ०८' ०४.६४", पू ७७° ००' ४३.९५"
	62	लिलोनी	उ २६° १०' ००.८७", पू ७७° ०२' ४२.८४"
	63	जिमारछा	उ २६° १०' १५.६६", पू ७७° ०४' २२.८८"
	64	पांचौ	उ २६° १०' ४२.०७", पू ७७° ०६' १९.४२"
	65	नितनवास	उ २६° ११' ३२.७८", पू ७७° ०६' ५९.४५"
मुरैना	66	बरोठा	उ २६° १३' ०६.११", पू ७७° ०७' ४८.५९"
	67	कैमाराकलां	उ २६° ११' १३.११", पू ७७° १२' १५.७९"
	68	कैमाराखुर्द	उ २६° १३' २९.३५", पू ७७° १२' ५९.३४"
	69	गदुला	उ २६° १३' २९.८८", पू ७७° १३' २५.२४"
	70	बंथर	उ २६° ०३' ३०.४०", पू ७७° १४' ०४.०८"
	71	गोंदोली	उ २६° १३' ०४.००", पू ७७° १४' ५७.६५"
	72	अटार	उ २६° १५' ३१.८२", पू ७७° १८' १२.४५"
	73	डिगवार	उ २६° १६' १३.००", पू ७७° २०' २२.५२"
	74	खेडाडिगवार	उ २६° १६' ३४.१०", पू ७७° २०' ४५.४७"
	75	रहू का गांव	उ २६° १९' ०८.१८", पू ७७° २०' २१.३५"
	76	गाजीखेड़ा	उ २६° १९' ३७.१९", पू ७७° २०' २१.९४"
	77	पालरी	उ २६° २०' १३.५९", पू ७७° २१' ११.९६"
	78	बनवारा	उ २६° २०' ५८.९५", पू ७७° २१' १९.०३"
	79	नोरावली खेरोन,	उ २६° २०' २२.५५", पू ७७° २३' ४८.५२"
	80	खेरोन	उ २६° २०' ३७.३२", पू ७७° २४' ५३.२५"

	81	कलारथाटी	उ 26° 22' 07.50", पू 77° 27' 35.70"
	82	झुन्डपुरा	उ 26° 21' 02.64", पू 77° 28' 32.20"
	83	कढ़ावाना	उ 26° 23' 56.12", पू 77° 28' 26.90"
	84	बर्णड,	उ 26° 23' 33.45", पू 77° 30' 29.91"
	85	सिंगरोली	उ 26° 23' 45.05", पू 77° 31' 47.60"
	86	चिन्नोनी चम्बल,	उ 26° 24' 28.80", पू 77° 32' 50.58"
	87	तिंदोखर	उ 26° 24' 40.39", पू 77° 33' 55.32"
	88	बृंजगढ़ी	उ 26° 25' 26.77", पू 77° 33' 43.54"
	89	मिलाउअ	उ 26° 25' 45.78", पू 77° 36' 57.56"
	90	कोटरा	उ 26° 25' 50.49", पू 77° 38' 00.10"
	91	कोलहुड़ांडा	उ 26° 27' 07.10", पू 77° 38' 46.45"
	92	गुर्जा	उ 26° 28' 18.10", पू 77° 39' 02.45"
	93	छिनवारा	उ 26° 28' 38.59", पू 77° 40' 11.41"
	94	उत्तमपुरा	उ 26° 27' 51.17", पू 77° 41' 34.39"
	95	ताजपुर	उ 26° 28' 51.23", पू 77° 41' 42.34"
	96	सरसौनी	उ 26° 29' 04.18", पू 77° 45' 10.32"
	97	विंदवा देवगढ़,	उ 26° 29' 43.68", पू 77° 46' 20.36"
	98	नन्दपुरा	उ 26° 29' 19.97", पू 77° 48' 21.02"
	99	गुडा चम्बल,	उ 26° 31' 57.97", पू 77° 48' 02.18"
	100	खाडोली	उ 26° 34' 06.67", पू 77° 51' 07.76"
	101	कैथरी	उ 26° 36' 17.73", पू 77° 53' 13.72"
	102	विंडवा चम्बल	उ 26° 37' 14.92", पू 77° 54' 55.61"
	103	जैतपुर चम्बल	उ 26° 37' 24.56", पू 77° 54' 14.92"
	104	भानपुर	उ 26° 39' 02.10", पू 77° 54' 57.89"
	105	पिपराई	उ 26° 37' 55.96", पू 77° 57' 08.62"
	106	नायकपुरा	उ 26° 39' 08.56", पू 77° 58' 27.49"
	107	गडोरा	उ 26° 39' 32.23", पू 77° 58' 48.09"
	108	गोरखा	उ 26° 40' 01.68", पू 77° 59' 57.54"
	109	रिठौरा खुर्द	उ 26° 40' 19.04", पू 78° 01' 34.65"
	110	जखोना	उ 26° 39' 05.91", पू 78° 04' 53.09"
	111	असाह	उ 26° 40' 03.98", पू 78° 07' 38.99"
	112	कुथियाना	उ 26° 41' 16.55", पू 78° 06' 25.42"
	113	बैलपुर	उ 26° 42' 18.59", पू 78° 06' 36.01"
	114	किसरोली	उ 26° 44' 32.12", पू 78° 07' 58.41"
	115	अरोली	उ 26° 45' 41.49", पू 78° 07' 40.76"

116	गोसवसई	उ २६° ४५' ५५.१६", पू ७८° ०८' ५०.२१"
117	मलबसाई	उ २६° ४६' १८.२९", पू ७८° ०९' २९.०६"
118	गुंज	उ २६° ४५' ५७.२६", पू ७८° १०' ३१.४४"
119	तिलोल	उ २६° ४५' ३१.६७", पू ७८° १४' २३.६२"
120	बरवाई	उ २६° ४६' ४८.४६", पू ७८° १३' ४७.७३"
121	रतनबासई	उ २६° ४८' १४.९३", पू ७८° १३' ५२.७१"
122	रुअर	उ २६° ४७' १०.१२", पू ७८° १७' १३.२५"
123	रिठोरा	उ २६° ४९' ००.१३", पू ७८° १६' ४७.६६"
124	रछेद	उ २६° ४८' ५५.७१", पू ७८° १७' २३.२५"
125	लुधावली	उ २६° ४९' ३४.०५", पू ७८° १६' ५९.१२"
126	उसेघ	उ २६° ५०' ४९.५४", पू ७८° २१' ०६.२८"
127	बिंडवा	उ २६° ४८' ४७.७०", पू ७८° २३' ०९.८८"
128	रायपुर	उ २६° ४८' १०.१४", पू ७८° २५' ११.३३"
129	कुदौना	उ २६° ४७' २२.३३", पू ७८° २६' ५६.६८"
130	कुरेठा	उ २६° ४७' ०६.०४", पू ७८° २७' २४.९३"
131	सिलावली	उ २६° ४६' ४६.०८", पू ७८° २९' ४३.२४"
132	धोर्रा	उ २६° ४६' २५.५८", पू ७८° ३०' ५३.८३"
133	नागरा पोरसा	उ २६° ४५' ५५.११", पू ७८° ३१' ४६.८४"
134	भदावली	उ २६° ४४' ५७.२९", पू ७८° ३२' २०.३८"
135	चपक	उ २६° ४४' १७.३५", पू ७८° ३२' १८.०३"
136	कछपुरा	उ २६° ४५' ३०.९३", पू ७८° ३२' ३२.१५"
137	कनेरा	उ २६° ४४' ४१.००", पू ७८° ३४' ३३.९९"
138	खेरहर	उ २६° ४४' ४४.१५", पू ७८° ३५' ४१.०८"
139	नावली वृन्दाबन,	उ २६° ४४' ४९.४१", पू ७८° ३७' ४०.५६"
140	अटेर	उ २६° ४४' ३२.०३", पू ७८° ३८' ३४.७२"
141	रेपुरा	उ २६° ४४' १७.५७", पू ७८° ३९' ५३.५९"
142	बिंडवा	उ २६° ४५' ३४.८३", पू ७८° ४०' ३१.२५"
143	सलिमपुर	उ २६° ४५' ३२.७३", पू ७८° ४१' ११.२७"
144	खिपोना	उ २६° ४५' ३०.६१", पू ७८° ४२' ००.३२"
145	झांगसरकेर	उ २६° ४६' २३.१८", पू ७८° ४०' ५७.७३ "
146	मधेरा	उ २६° ४७' ०७.३०", पू ७८° ४१' ५६.७९ "
147	जमसारा	उ २६° ४५' १५.६३", पू ७८° ४२' ५४.१७"
148	अकोन	उ २६° ४६' १८.४३", पू ७८° ४४' ३५.४०"
149	नखलोली	उ २६° ४५' ५०.०५", पू ७८° ४५' २८.३७"
150	कोसड़	उ २६° ४५' १७.४७", पू ७८° ४६' ३४.५९"

	151	विजोरा	उ $26^{\circ} 44' 33.87''$, पू $78^{\circ} 47' 40.45''$
	152	चिलोंगा	उ $26^{\circ} 44' 33.62''$, पू $78^{\circ} 49' 00.20''$
	153	परियापा	उ $26^{\circ} 44' 11.53''$, पू $78^{\circ} 49' 39.93''$
	154	रामा	उ $26^{\circ} 43' 29.49''$, पू $78^{\circ} 51' 13.42''$
	155	भगवंतपुरा	उ $26^{\circ} 41' 46.96''$, पू $78^{\circ} 48' 56.67''$
	156	जोरी अहीर	उ $26^{\circ} 41' 13.84''$, पू $78^{\circ} 51' 07.33''$
	157	गढा	उ $26^{\circ} 41' 51.69''$, पू $78^{\circ} 51' 29.70''$
	158	चौसाड	उ $26^{\circ} 37' 59.00''$, पू $78^{\circ} 50' 37.73''$
	159	बडेरी	उ $26^{\circ} 41' 17.51''$, पू $78^{\circ} 52' 56.21''$
	160	बडपुरा	उ $26^{\circ} 41' 35.44''$, पू $78^{\circ} 53' 55.48''$
	161	रानीपुरा	उ $26^{\circ} 41' 16.99''$, पू $78^{\circ} 54' 12.14''$
	162	नारीपुरा	उ $26^{\circ} 42' 55.02''$, पू $78^{\circ} 40' 16.19''$
	163	बरही	उ $26^{\circ} 40' 32.01''$, पू $78^{\circ} 55' 26.25''$
	164	समन्ना	उ $26^{\circ} 39' 57.06''$, पू $78^{\circ} 56' 03.97''$
	165	सपाड़	उ $26^{\circ} 39' 32.78''$, पू $78^{\circ} 56' 15.06''$
	166	कुआवाली	उ $26^{\circ} 38' 50.29''$, पू $78^{\circ} 56' 28.50''$
	167	जवई	उ $26^{\circ} 38' 59.76''$, पू $78^{\circ} 56' 35.56''$
	168	सराया	उ $26^{\circ} 37' 37.03''$, पू $78^{\circ} 57' 42.20''$
	169	ज्ञानपुर	उ $26^{\circ} 39' 52.76''$, पू $78^{\circ} 59' 43.42''$
	170	कुरोली	उ $26^{\circ} 38' 30.66''$, पू $78^{\circ} 59' 03.40''$
	171	सांकरी	उ $26^{\circ} 37' 01.26''$, पू $78^{\circ} 59' 23.41''$
	172	कांचई	उ $26^{\circ} 36' 51.79''$, पू $78^{\circ} 59' 39.88''$
	173	विंडवा	उ $26^{\circ} 36' 07.59''$, पू $79^{\circ} 00' 14.01''$

जिला	क्र.सं.	2 किलोमीटर परिधि पर स्थित ग्राम के नाम	अक्षांश /देशांतर
श्योपुर	1	हांडी	उ $25^{\circ} 23' 55.32''$, पू $76^{\circ} 37' 16.22''$
	2	कलमुन्दा	उ $25^{\circ} 24' 21.06''$, पू $76^{\circ} 37' 57.61''$
	3	मकदाबाडा	उ $25^{\circ} 23' 48.11''$, पू $76^{\circ} 37' 58.20''$
	4	बडोदिया गिंसी	उ $25^{\circ} 25' 54.10''$, पू $76^{\circ} 36' 20.50''$
	5	पाली	उ $25^{\circ} 25' 44.00''$, पू $76^{\circ} 37' 46.42''$
	6	ठीकरीया	उ $25^{\circ} 26' 13.23''$, पू $76^{\circ} 38' 05.85''$
	7	कुंडायथा	उ $25^{\circ} 26' 43.04''$, पू $76^{\circ} 38' 38.33''$
	8	धरमपुरा	उ $25^{\circ} 27' 41.49''$, पू $76^{\circ} 36' 27.68''$
	9	सांरगपुरा	उ $25^{\circ} 26' 35.00''$, पू $76^{\circ} 35' 30.00''$

	10	कुन्हाजापुर	उ २५° २६' ४५.००", पू ७६° ३४' २०.००"
	11	बासौद	उ २५° २९' ५३.२२", पू ७६° ३५' ५२.२५"
	12	बीदा खेदली	उ २५° २७' २०.००", पू ७६° ३४' २५.००"
	13	बालापुरा	उ २५° ३१' १४.२७", पू ७६° ३४' २४.१९"
	14	वाजरली	उ २५° ३१' ३५.०९", पू ७६° ३३' २६.९७"
	15	ठीकरिया	उ २५° ३२' ३७.००", पू ७६° ३३' ४५.००"
	16	उत्तनवाड	उ २५° ३३' ३६.२७", पू ७६° ३४' ०६.३१"
	17	गुढां अडवाड	उ २५° ३९' २७.००", पू ७६° ३१' ४४.९८"
	18	दावरसा	उ २५° ४१' ३०.००", पू ७६° ३०' ४०.००"
	19	बिट्ठलपुर	उ २५° ४२' १५.२२", पू ७६° ३३' २९.२३"
	20	चक जुवाड	उ २५° ४४' ५४.८१", पू ७६° ३२' ३४.९५"
	21	बनवाडा	उ २५° ३९' ५७.४५", पू ७६° ३६' ४७.३३"
	22	घीरोली	उ २५° ५२' २८.१७", पू ७६° ४६' २६.५७"
	23	खोजीपुरा	उ २५° ५६' ५२.३६", पू ७६° ५०' ४६.१४"
	24	भूरेडी	उ २५° ५९' ३०.००", पू ७६° ५०' ३०.००"
	25	खैरोद कलां	उ २६° ००' ४८.००", पू ७६° ५२' ००.००"
	26	अकोरीया	उ २६° ००' ३४.६२", पू ७६° ५३' ११.४३"
	27	हीरापुरा	उ २६° ०३' ३८.८७", पू ७६° ५६' १८.१६"
	28	उद्दोतपुरा	उ २६° ०४' ०९.२४", पू ७६° ५८' ०१.८७"
	29	पराष्ट	उ २६° ०५' १३.८०", पू ७६° ५८' २२.६१"
	30	दौलपुरा	उ २६° ०४' ५५.८६", पू ७६° ५९' ०३.३७"
	31	जैतपुरा	उ २६° ०५' ३३.९१", पू ७६° ५९' ३३.९९"
	32	जमूर्दा	उ २६° ०५' ५७.१७", पू ७६° ५८' ५६.३२"
	33	पारवती पुरा	उ २६° ०५' ३८.१५", पू ७७° ००' ०४.६० "
मुरैना	34	काढ्रींदा	उ २६° ११' ५८.५३", पू ७७° १०' १८.०८"
	35	गुरैना	उ २६° २०' १८.८७", पू ७७° २७' २०.७६"
	36	हीरापुर	उ २६° १९' ४६.१६", पू ७७° २८' ४६.७०"
	37	डीडोखार	उ २६° २७' २४.८३", पू ७७° ४०' ०९.४३"
	38	सुखपुरा	उ २६° २७' ५८.६७", पू ७७° ४३' ५०.४२"
	39	बरहाना	उ २६° ३०' ३३.७१", पू ७७° ४८' ३३.९७"
	40	मसूदपुर	उ २६° ३७' ३०.५५", पू ७७° ५६' ११.४६"
	41	रिठैना	उ २६° ४४' ४३.१७", पू ७८° १२' ४९.९५"
	42	महुआ	उ २६° ४८' २९.१५", पू ७८° २२' २७.९१"
भिंड	43	अर्जुनपुरा	उ २६° ४४' १९.७१", पू ७८° ३३' ०७.५५"
	44	हिम्मतपुरा	उ २६° ४६' १४.६३", पू ७८° १८' ३८.७८"

	45	कदोरा	उ २६° ४३' ३१.७२", पू ७८° ३९' १४.६१"
	46	रतनपुरा	उ २६° ४४' १५.४६", पू ७८° ४३' ०२.४४"
	47	सुरज पुरा	उ २६° ४४' ५९.६१", पू ७८° ४५' ०४.८५"
	48	चितावाली	उ २६° ४३' ०६.०७", पू ७८° ४५' ००.१५"
	49	दुल्हागांव	उ २६° ४०' ५३.६२", पू ७८° ४७' १०.५६"
	50	उदांपुरा	उ २६° ४०' २४.१२", पू ७८° ५१' ००.३४"
	51	पाली	उ २६° ३९' ४२.२४", पू ७८° ५३' ३२.६४"
	52	अंधापुरा	उ २६° ३९' ११.७४", पू ७८° ५२' ०९.०४"
	53	जाजेपुरा	उ २६° ३९' ००.१६", पू ७८° ५५' ००.९३"
	54	भोनरा	उ २६° ३६' २१.७८", पू ७८° ५६' ३८.६२"

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत् : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत् को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सारा विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सारा (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सारा। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2019

S.O. 1944(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the National Chambal Sanctuary is located in one of the cleanest rivers of India. It lies across Sheopur, Morena and Bhind districts of Madhya Pradesh with a length of 435 kilometers and area of 435 square kilometres;

AND WHEREAS, it is home of naturally living population of 75% of the critically endangered species of Gharial. The sanctuary also harbours national aquatic animal –the fresh water gangetic dolphins, nine species of fresh water turtles and more the 180 species of migratory birds;

AND WHEREAS, the sanctuary has diversity of flora and fauna including birds, butterflies, reptiles, fishes, amphibians etc. Examples of flora present in the sanctuary include *Acacia nilotica*, *A. leucophloea*, *A catechu*, *Prosopis juliflora*, *P. spicigera*, *Albizia lebbek*, *Grewia optiva*, *Angeissus pendula*, *Dalbergia sissoo*, *Zizyphus mauritiana*, *Z. drupitcosa*, *Salvadora persica*, *Capparis deciduas*, *C. sepiaria*, *Calotropis gigantea*, *Carissa opaca* and *Tamarix dioca* etc. The aquatic plants of the sanctuary include *Hydrilla verticillata*, *Vallisneria spiralis*, *Potamogeton*, *Imperata*, *Typha*, *Nitella*, *Chara* and *zaminchelia spp*;

AND WHEREAS, the fauna of the sanctuary include Hyena, Jackal, Karakkal, Cheetal, Chinkara, Neelgai, Sambhar, Mongoose, Monitor lizard etc. The examples of aquatic fauna present in the sanctuary are critically endangered *Gavialis gangeticus*, *Crocodylus palustris*, *Platanista gangetica*, red-crowned roofed turtle (*Batagur Kachuga*), *Batagur Dhongoka*, *Hydrilla thurgi*, *Kachuga tentoria*, Narrow haded soft shell turtle (*Chitra Indica*), Indian soft shell turtle (*Nilssonia gangetica*), Indian flapshell turtle (*Lissemys punctata*), *Lissemys adorseni*, Peacock soft shell turtle (*Nilssonia hurum*);

AND WHEREAS, a variety of birds have found in the sanctuary for example Indian skimmer (*Rynchops albicollis*), Black-bellied (*ternsterna acuticauda*), Sarus crane (*Grus antigona*), Lesser Whistling Duck (*Dendrocygna javanica*), Bar-headed Goose (*Anser indicus*), Greylag Goose (*Anser anser*), Ruddy Shelduck (*Tadorna ferruginea*), Common Pochard (*Aythya ferina*), Red-crested Pochard (*Netta rufina*), Ferruginous Duck (*Aythya nyroca*), Northern Shoveler (*Spatula clypeata*), Gadwall (*Mareca strepera*), Eurasian Wigeon (*Mareca Penelope*) etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of National Chambal Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of zero to 2 kilometer around the boundary of National Chambal Ghariyal Sanctuary in the State of Madhya Pradesh as the National Chambal Ghariyal Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies **from zero kilometer to 2 kilometer** around the National Chambal Ghariyal Sanctuary in the State of Madhya Pradesh. The area of the Eco-Sensitive Zone is **870 square kilometers**.

(2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is appended at **Annexure I**.

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure II**.

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A)** and **Annexure III (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. – (1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following of the State Government Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department;
- (xii) Highways; and
- (xiii) Madhya Pradesh State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forest, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for the security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. - (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities;

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism or Eco-tourism. -

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forest.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within 1 kilometer from the boundary of the Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution. - Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

- (a) The solid waste disposal and management in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone;
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste. - Bio Medical Waste Management shall be as under:-

- (a) The Bio Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Waste Management in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E-Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl.No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	<p>(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Establishment of Major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
3.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.
4.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities</p>

		<p>listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:</p> <p>Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
14.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	New trenching Ground	Regulated as per the applicable laws.
21.	Old trenching Ground	Regulated as per the applicable laws.
22.	Grant and renewal of mining lease	Regulated as per the applicable laws.
23.	Air, Vehicular and noise pollution	Regulated as per the applicable laws.
24.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
25.	Ongoing agriculture and horticulture	Permitted as per the applicable laws for use of locals.

	practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
28.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc to be actively promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification. - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government within three months hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S.No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
1.	Divisional Commissioner, Chambal Division	Chairman;
2.	Chief Conservator of Forests, Gwalior	Member;
3.	District Collector, Morena/Bhind/Sheopur district	Member;
4.	Commissioner Nagar Nigam Morena/CMO Nagar Palika Bhind/ Sheopur	Member;
5.	CEO of Zilla Panchayat Morena/Bhind/Sheopur district	Member;
6.	District Officer of Town and country planning Department	Member;
7.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;

8.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
9.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
10.	A representative from State Public Works Department	Member;
11.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
12.	Wildlife Warden of Morena Forest Division	Member-Secretary.

6. Terms of Reference. – (1)The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7.The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.


8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/79/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA**

North	Madhya Pradesh, Uttar Pradesh or Madhya Pradesh – inter-state boundary of Rajasthan states (middle stream of Chambal river).
East	Madhya Pradesh-The inter-state boundary of Rajasthan is situated in the Parvati River where the Chambal right main canal crosses the Parvati river.
South	Artificial Boundary Madhya Pradesh - One kilometer from the inter-state boundary of Rajasthan and Madhya Pradesh, Uttar Pradesh states (middle edge of Chambal river), two kilometers from the protected area (the boundary of the National Chambal Sanctuary) on the south side (permanent distance) on the east side along the banks of river Parvati and river Chambal, which is Passes through of Handi, Kalamunda, Makvarda, Badodia Bindi, Pali, Thikritia, Kudayutha, Dharampura, Sarangpura, Kuvhajapur, Basaud, Vidakhedli, Walapura Wajarli, Thikritia, Uatnwad, Gudda Advad, Dabrasah, Vithalpur, Chak juwada, Banwada, Dhiroli, Bhoredi, Khairoda Kalan, Akoria, Heerapura, Utpatpura, Parasata, Daulpur, Jaitpura, Jamurda, Parvati Pura, Kachinda, Gueraina, Hirapura, Dudokhar, Sukhpura, Barhana, Masudpur, Rithona, Mahua, Arjunpura, Himmattpura, Kadura, Ratanpura, Surajpura, Chitawali, Dulhgan, Udnanpura, Pali, andhpura, Jajepura and Bhanpur.
West	One kilometer away from the inter-state boundary of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh states (Central Stream of Chambal river), one kilometer away from the protected area (Boundary of National Chambal Sanctuary) to two kilometers parallel distance.

ANNEXURE-II**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NATIONAL CHAMBAL GHARIYAL SANCTUARY**

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of National Chambal Ghariyal Sanctuary, Madhya Pradesh

S.No.	District	Starting/ Ending point	Village	Latitude	Longitude
1.	Sheopur	Starting point	Badodi Bindi	N 25°24'13.09"	E 77°36'40.98"
2.	Sheopur	Ending point	Nitanwas	N 26°11'32.78"	E 77°06'59.45"
3.	Morena	Starting point	Barotha	N 26°13'06.11"	E 77°07'48.59"
4.	Morena	Ending point	Chapak	N 26°44'17.35"	E 78°32'18.03"
5.	Bhind	Starting point	Kachhpura	N 26°45'30.93"	E 78°32'32.15"
6.	Bhind	Ending point	Bindwa	N 26°36'07.59"	E 79°00'14.01"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S.No.	District	Starting/ Ending point	Village	Latitude	Longitude
1.	Sheopur	Starting point	Handi	N 25°23'55.32"	E 76°37'16.22"
2.	Sheopur	Ending point	Parwati Pura	N 26°05'38.15"	E 77°00'04.60"
3.	Morena	Starting point	Kachhinda	N 26°11'58.53"	E 77°10'18.08"
4.	Morena	Ending point	Mahua	N 26°48'29.15"	E 78°22'27.91"
5.	Bhind	Starting point	Arjunpura	N 26°44'19.71"	E 78°33'07.55"
6.	Bhind	Ending point	Bhonpura	N 26°36'21.78"	E 78°56'38.62"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NATIONAL CHAMBAL GHARIYAL SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

District	S.No.	Name of village situated on 500 meters. periphery	Lat / long
Sheopur	1	Badodi Bindi	N 25° 24' 13.09", E 77° 36' 40.98"
	2	Radhapura	N 25° 25' 15.82", E 76° 36' 38.74"
	3	Barkhera	N 25° 26' 03.19", E 76° 35' 31.37"
	4	Adotpura	N 25° 26' 30.84", E 76° 35' 13.73"
	5	Badodiya	N 25° 27' 51.61", E 76° 33' 59.58"
	6	Kalukhedli	N 25° 28' 54.31", E 76° 33' 59.58"
	7	Behadawad	N 25° 29' 18.74", E 76° 33' 40.74"
	8	Pahadli,	N 25° 30' 16.12", E 76° 33' 00.71"
	9	Panwada,	N 25° 31' 24.09", E 76° 32' 17.16"
	10	Rajaura	N 25° 32' 45.88", E 76° 31' 47.73"
	11	Gurnawada Utanwad	N 25° 36' 16.11", E 76° 31' 10.08"
	12	Sankarli	N 25° 36' 53.27", E 76° 30' 57.14"
	13	Patpada	N 25° 37' 28.30", E 76° 31' 03.02"
	14	Amalda	N 25° 38' 29.85", E 76° 30' 44.19"

	15	Nimodapeer	N 25° 39' 57.93", E 76° 30' 53.60"
	16	Gaondi	N 25° 40' 45.67", E 76° 30' 21.83"
	17	Panadi	N 25° 40' 23.39", E 76° 31' 58.34"
	18	Jalalpura	N 25° 41' 33.41", E 76° 28' 57.06"
	19	Aadwad	N 25° 41' 57.80", E 76° 31' 46.58"
	20	Soondi	N 25° 43' 15.22", E 76° 31' 08.90"
	21	Cheetakhedi	N 25° 42' 47.65", E 76° 33' 00.73"
	22	Makhanakhedi	N 25° 43' 51.28", E 76° 31' 44.22"
	23	Chak Juwad	N 25° 44' 35.82", E 76° 31' 59.52"
	24	Malarna	N 25° 45' 55.34", E 76° 31' 27.74"
	25	Dalkha	N 25° 46' 21.84", E 76° 31' 24.21"
	26	Behted	N 25° 47' 25.44", E 76° 31' 28.92"
	27	Echhanakhedi	N 25° 47' 31.79", E 76° 31' 44.22"
	28	Adoosa	N 25° 48' 17.36", E 76° 32' 56.04"
	29	Mudalpada	N 25° 49' 20.87", E 76° 32' 59.49"
	30	Lechoda	N 25° 50' 05.43", E 76° 34' 18.43"
	31	Dantardakalan	N 25° 50' 16.04", E 76° 34' 50.20"
	32	Samarsa	N 25° 50' 19.14", E 76° 37' 11.40"
	33	Unchakheda	N 25° 50' 46.76", E 76° 37' 09.10"
	34	Bichpuri	N 25° 51' 09.01", E 76° 38' 19.72"
	35	Awani	N 25° 51' 54.36", E 76° 37' 43.49"
	36	Jawasa	N 25° 52' 22.02", E 76° 40' 02.07"
	37	Tongni	N 25° 53' 24.38", E 76° 39' 20.00"
	38	Sewapura	N 25° 53' 28.62", E 76° 39' 40.03"
	39	Jaimi	N 25° 52' 06.13", E 76° 42' 13.91"
	40	Sirsod	N 25° 53' 24.50", E 76° 42' 38.65"
	41	Manpur	N 25° 51' 17.40", E 76° 42' 57.47"
	42	Fatahpur	N 25° 45' 19.21", E 76° 34' 54.84"
	43	Makrod	N 25° 54' 10.97", E 76° 45' 46.11"
	44	Bagdiya	N 25° 53' 44.62", E 76° 48' 37.66"
	45	Baradari	N 25° 54' 59.67", E 76° 51' 05.69"
	46	Biloni	N 25° 57' 42.81", E 76° 49' 20.04"
	47	Khirkhiri	N 25° 58' 09.27", E 76° 49' 34.17"
	48	Danteti	N 25° 59' 37.50", E 76° 49' 47.40"
	49	Sukhwas	N 26° 00' 51.03", E 76° 50' 53.33"
	50	KherodaKhurd	N 26° 01' 18.00", E 76° 51' 39.24"
	51	Milawali	N 25° 00' 57.51", E 76° 52' 55.44"
	52	Sudhara	N 25° 02' 18.95", E 76° 53' 31.95"
	53	Arrodari	N 25° 03' 00.19", E 76° 54' 17.84"
	54	Nimach	N 26° 03' 39.32", E 76° 54' 17.84"
	55	Piprani	N 26° 04' 22.68", E 76° 54' 35.49"
	56	Rijhenta	N 26° 05' 22.93", E 76° 55' 28.47"
	57	Baroli	N 26° 05' 23.99", E 76° 56' 53.23"
	58	Chainpur	N 26° 06' 21.07", E 76° 57' 55.62"

	59	Jamurdi	N 26° 06' 49.61", E 76° 58' 36.83"
	60	Dubawali	N 26° 07' 07.57", E 76° 59' 56.87"
	61	Nadigaon	N 26° 08' 04.64", E 77° 00' 43.95"
	62	Liloni	N 26° 10' 00.87", E 77° 02' 42.84"
	63	Jimarchha	N 26° 10' 15.66", E 77° 04' 22.88"
	64	Pancho	N 26° 10' 42.07", E 77° 06' 19.42"
	65	Nitanwas	N 26° 11' 32.78", E 77° 06' 59.45"
Morena	66	Barotha	N 26° 13' 06.11", E 77° 07' 48.59"
	67	Kaimarakalan	N 26° 11' 13.11", E 77° 12' 15.79"
	68	Kaimarakhurd	N 26° 13' 29.35", E 77° 12' 59.34"
	69	Gadula	N 26° 13' 29.88", E 77° 13' 25.24"
	70	Banthal	N 26° 13' 30.40", E 77° 14' 04.08"
	71	Gondoli	N 26° 13' 04.00", E 77° 14' 57.65"
	72	Atar	N 26° 15' 31.82", E 77° 18' 12.45"
	73	Digwar	N 26° 16' 13.00", E 77° 20' 22.52"
	74	Khedadigwar	N 26° 16' 34.10", E 77° 20' 45.47"
	75	Rohu ka Gaon	N 26° 19' 08.18", E 77° 20' 21.35"
	76	Gajikheda	N 26° 19' 37.19", E 77° 20' 21.94"
	77	Palari	N 26° 20' 13.59", E 77° 21' 11.96"
	78	Banwara	N 26° 20' 58.95", E 77° 21' 19.03"
	79	Norwali Kheron,	N 26° 20' 22.55", E 77° 23' 48.52"
	80	Kheron	N 26° 20' 37.32", E 77° 24' 53.25"
	81	Kalarghati	N 26° 22' 07.50", E 77° 27' 35.70"
	82	Jhundpura,	N 26° 21' 02.64", E 77° 28' 32.20"
	83	Kadhwana	N 26° 23' 56.12", E 77° 28' 26.90"
	84	Barred,	N 26° 23' 33.45", E 77° 30' 29.91"
	85	Singhroli	N 26° 23' 45.05", E 77° 31' 47.60"
	86	Chinnoni Chambal,	N 26° 24' 28.80", E 77° 32' 50.58"
	87	Tindokhar	N 26° 24' 40.39", E 77° 33' 55.32"
	88	Brijgadhi,	N 26° 25' 26.77", E 77° 33' 43.54"
	89	Milaua	N 26° 25' 45.78", E 77° 36' 57.56"
	90	Kotra	N 26° 25' 50.49", E 77° 38' 00.10"
	91	Kolhudanda	N 26° 27' 07.10", E 77° 38' 46.45"
	92	Gurja	N 26° 28' 18.10", E 77° 39' 02.45"
	93	Chhinwara	N 26° 28' 38.59", E 77° 40' 11.41"
	94	Uttampura	N 26° 27' 51.17", E 77° 41' 34.39"
	95	Tajpur	N 26° 28' 51.23", E 77° 41' 42.34"
	96	Sarsaini	N 26° 29' 04.18", E 77° 45' 10.32"
	97	Bindwa Deogarh,	N 26° 29' 43.68", E 77° 46' 20.36"
	98	Nandpura	N 26° 29' 19.97", E 77° 48' 21.02"
	99	Gudha chambal,	N 26° 31' 57.97", E 77° 48' 02.18"
	100	Khandoli	N 26° 34' 06.67", E 77° 51' 07.76"
	101	Kainthari	N 26° 36' 17.73", E 77° 53' 13.72"
	102	Vindwa chambal	N 26° 37' 14.92", E 77° 54' 55.61"

	103	Jaitpur Chambal	N 26° 37' 24.56", E 77° 54' 14.92"
	104	Bhanpur	N 26° 39' 02.10", E 77° 54' 57.89"
	105	Piprai	N 26° 37' 55.96", E 77° 57' 08.62"
	106	Nayakpura	N 26° 39' 08.56", E 77° 58' 27.49"
	107	Gadora	N 26° 39' 32.23", E 77° 58' 48.09"
	108	Gorkha	N 26° 40' 01.68", E 77° 59' 57.54"
	109	Rithora khurd	N 26° 40' 19.04", E 78° 01' 34.65"
	110	Jakhona	N 26° 39' 05.91", E 78° 04' 53.09"
	111	Asah.	N 26° 40' 03.98", E 78° 07' 38.99"
	112	Kuthiyana	N 26° 41' 16.55", E 78° 06' 25.42"
	113	Beelpur	N 26° 42' 18.59", E 78° 06' 36.01"
	114	Kisroli	N 26° 44' 32.12", E 78° 07' 58.41"
	115	Aroli	N 26° 45' 41.49", E 78° 07' 40.76"
	116	Gosbasai	N 26° 45' 55.16", E 78° 08' 50.21"
	117	Malbasai	N 26° 46' 18.29", E 78° 09' 29.06"
	118	Goonjh	N 26° 45' 57.26", E 78° 10' 31.44"
	119	Tilol	N 26° 45' 31.67", E 78° 14' 23.62"
	120	Barwai	N 26° 46' 48.46", E 78° 13' 47.73"
	121	Ratanbasai	N 26° 48' 14.93", E 78° 13' 52.71"
	122	Ruar	N 26° 47' 10.12", E 78° 17' 13.25"
	123	Rithaura	N 26° 49' 00.13", E 78° 16' 47.66"
	124	Rachhed	N 26° 48' 55.71", E 78° 17' 23.25"
	125	Ludhawali	N 26° 49' 34.05", E 78° 16' 59.12"
	126	Useth	N 26° 50' 49.54", E 78° 21' 06.28"
	127	Bindwa	N 26° 48' 47.70", E 78° 23' 09.88"
	128	Raipur	N 26° 48' 10.14", E 78° 25' 11.33"
	129	Kundauna	N 26° 47' 22.33", E 78° 26' 56.68"
	130	Kuraitha	N 26° 47' 06.04", E 78° 27' 24.93"
	131	Silawali	N 26° 46' 46.08", E 78° 29' 43.24"
	132	Dhorra	N 26° 46' 25.58", E 78° 30' 53.83"
	133	Nagra Porsa	N 26° 45' 55.11", E 78° 31' 46.84"
	134	Bhadawali	N 26° 44' 57.29", E 78° 32' 20.38"
	135	Chapak	N 26° 44' 17.35", E 78° 32' 18.03"
	136	Kachhpura	N 26° 45' 30.93", E 78° 32' 32.15"
	137	Kanera	N 26° 44' 41.00", E 78° 34' 33.99"
	138	Kherat	N 26° 44' 44.15", E 78° 35' 41.08"
	139	Nawali Brindawan	N 26° 44' 49.41", E 78° 37' 40.56"
	140	Ater	N 26° 44' 32.03", E 78° 38' 34.72"
	141	Repura	N 26° 44' 17.57", E 78° 39' 53.59"
	142	Bindwa	N 26° 45' 34.83", E 78° 40' 31.25"
	143	Salimpur	N 26° 45' 32.73", E 78° 41' 11.27"
	144	Khipona	N 26° 45' 30.61", E 78° 42' 00.32"
	145	Dangsarkar	N 26° 46' 23.18", E 78° 40' 57.73"
	146	Maghora	N 26° 47' 07.30", E 78° 41' 56.79"

	147	Jamsara	N 26° 45' 15.63", E 78° 42' 54.17"
	148	Akon	N 26° 46' 18.43", E 78° 44' 35.40"
	149	Nakholi	N 26° 45' 50.05", E 78° 45' 28.37"
	150	Koshath	N 26° 45' 17.47", E 78° 46' 34.59"
	151	Bijora	N 26° 44' 33.87", E 78° 47' 40.45"
	152	Chilonga	N 26° 44' 33.62", E 78° 49' 00.20"
	153	Priyaya	N 26° 44' 11.53", E 78° 49' 39.93"
	154	Rama	N 26° 43' 29.49", E 78° 51' 13.42"
	155	Bhagwantpura	N 26° 41' 46.96", E 78° 48' 56.67"
	156	Jori Ahir	N 26° 41' 13.84", E 78° 51' 07.33"
	157	Gadha	N 26° 41' 51.69", E 78° 51' 29.70"
	158	Chosad	N 26° 37' 59.00", E 78° 50' 37.73"
	159	Baderi	N 26° 41' 17.51", E 78° 52' 56.21"
	160	Badapura	N 26° 41' 35.44", E 78° 53' 55.48"
	161	Ranipura	N 26° 41' 16.99", E 78° 54' 12.14"
	162	Naripura	N 26° 42' 55.02", E 78° 40' 16.19"
	163	Barhi	N 26° 40' 32.01", E 78° 55' 26.25"
	164	Samanna	N 26° 39' 57.06", E 78° 56' 03.97"
	165	Sapad	N 26° 39' 32.78", E 78° 56' 15.06"
	166	Khuvali	N 26° 38' 50.29", E 78° 56' 28.50"
	167	Javai	N 26° 38' 59.76", E 78° 56' 35.56"
	168	Saraya	N 26° 37' 37.03", E 78° 57' 42.20"
	169	Gyanpura	N 26° 39' 52.76", E 78° 59' 43.42"
	170	Kuroli	N 26° 38' 30.66", E 78° 59' 03.40"
	171	Sankari	N 26° 37' 01.26", E 78° 59' 23.41"
	172	Kachhui	N 26° 36' 51.79", E 78° 59' 39.88"
	173	Bindwa	N 26° 36' 07.59", E 79° 00' 14.01"

District	S.No.	Name of village situated on 2 km. periphery	Lat / long
Sheopur	1	Handi	N 25° 23' 55.32", E 76° 37' 16.22"
	2	Kalmunda	N 25° 24' 21.06", E 76° 37' 57.61"
	3	Makdabada	N 25° 23' 48.11", E 76° 37' 58.20"
	4	Badodia Ginsi	N 25° 25' 54.10", E 76° 36' 20.50"
	5	Pali	N 25° 25' 44.00", E 76° 37' 46.42"
	6	Thikariya	N 25° 26' 13.23", E 76° 38' 05.85"
	7	Kundaytha	N 25° 26' 43.04", E 76° 38' 38.33"
	8	Dharpura	N 25° 27' 41.49", E 76° 36' 27.68"
	9	Sarangpura	N 25° 26' 35.00", E 76° 35' 30.00"
	10	Kwahanjapur	N 25° 26' 45.00", E 76° 34' 20.00"
	11	Basod	N 25° 29' 53.22", E 76° 35' 52.25"
	12	Beeda khedli	N 25° 27' 20.00", E 76° 34' 25.00"
	13	Balapura	N 25° 31' 14.27", E 76° 34' 24.19"
	14	Vajarli	N 25° 31' 35.09", E 76° 33' 26.97"

	15	Thekaria	N 25° 32' 37.00", E 76° 33' 45.00"
	16	Utanbad	N 25° 33' 36.27", E 76° 34' 06.31"
	17	Gudha Anwad	N 25° 39' 27.00", E 76° 31' 44.98"
	18	Dabarsa	N 25° 41' 30.00", E 76° 30' 40.00"
	19	Bitthalpur	N 25° 42' 15.22", E 76° 33' 29.23"
	20	Chak Juwad	N 25° 44' 54.81", E 76° 32' 34.95"
	21	Banwada	N 25° 39' 57.45", E 76° 36' 47.33"
	22	Dhiroli	N 25° 52' 28.17", E 76° 46' 26.57"
	23	Khojipura	N 25° 56' 52.36", E 76° 50' 46.14"
	24	Bhoridi	N 25° 59' 30.00", E 76° 50' 30.00"
	25	Khairoda Klan	N 26° 00' 48.00", E 76° 52' 00.00"
	26	Akoriya	N 26° 00' 34.62", E 76° 53' 11.43"
	27	Hirapura	N 26° 03' 38.87", E 76° 56' 18.16"
	28	Udotpura	N 26° 04' 09.24", E 76° 58' 01.87"
	29	Parashta	N 26° 05' 13.80", E 76° 58' 22.61"
	30	Daulpura	N 26° 04' 55.86", E 76° 59' 03.37"
	31	Jaitpura	N 26° 05' 33.91", E 76° 59' 33.99"
	32	Jamurda	N 26° 05' 57.17", E 76° 58' 56.32"
	33	Parwati Pura	N 26° 05' 38.15", E 77° 00' 04.60"
Morena	34	Kachhinda	N 26° 11' 58.53", E 77° 10' 18.08"
	35	Gurena	N 26° 20' 18.87", E 77° 27' 20.76"
	36	Hirapur	N 26° 19' 46.16", E 77° 28' 46.70"
	37	Didokhar	N 26° 27' 24.83", E 77° 40' 09.43"
	38	Sukhpura	N 26° 27' 58.67", E 77° 43' 50.42"
	39	Barhana	N 26° 30' 33.71", E 77° 48' 33.97"
	40	Masoodpur	N 26° 37' 30.55", E 77° 56' 11.46"
	41	Rithona	N 26° 44' 43.17", E 78° 12' 49.95"
	42	Mahua	N 26° 48' 29.15", E 78° 22' 27.91"
Bhind	43	Arjunpura	N 26° 44' 19.71", E 78° 33' 07.55"
	44	Himmatpura	N 26° 46' 14.63", E 78° 18' 38.78"
	45	Kadora	N 26° 43' 31.72", E 78° 39' 14.61"
	46	Ratanpura	N 26° 44' 15.46", E 78° 43' 02.44"
	47	Suraj pura	N 26° 44' 59.61", E 78° 45' 04.85"
	48	Chitawali	N 26° 43' 06.07", E 78° 45' 00.15"
	49	Dulhagan	N 26° 40' 53.62", E 78° 47' 10.56"
	50	Udanpura	N 26° 40' 24.12", E 78° 51' 00.34"
	51	Pali	N 26° 39' 42.24", E 78° 53' 32.64"
	52	Andhapura	N 26° 39' 11.74", E 78° 52' 09.04"
	53	Jajepura	N 26° 39' 00.16", E 78° 55' 00.93"
	54	Bhonpura	N 26° 36' 21.78", E 78° 56' 38.62"

Annexure -V**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings (mention noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan .
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.